

राजस्थान सरकार  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजस्थान, जयपुर  
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक: एफ 61(21) SSAAT /नियमावली / 2019/

दिनांक

आदेश

(आदेश संख्या.....45...../2021)

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाना है। भारत सरकार की महात्मा गॉंधी नरेगा योजना के Annual Master Circular 2019-20 के बिन्दु संख्या 10.1.4.2 तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम, 2020 एवं संशोधित विनियम दिनांक 27.11.20 के प्रवाधानों के अन्तर्गत सामाजिक विकास विशेषज्ञ राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निर्धारित समिति बाबत जारी सम संख्यक आदेश क्रमांक 2719 दिनांक 21.06.2021(आदेश संख्या 37/2021) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार चयन समिति का पुनर्गठन किया जाता है-

क्र. सं.	नियमों में गठित समिति	चयन समिति
1	मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार,
3	निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शित सोसायटी (Member Convenor)	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शित सोसायटी, (SSAAT), राजस्थान
4	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center For Social audit), सिविल सोसायटी संगठन के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

उपरोक्त समिति का पुनर्गठन श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की आई.डी. क्रमांक 4081/CS/21 दिनांक 01.09.2021/ के अनुमोदन अनुसार किया जाता है।


*sd/-*  
(डा.कृष्ण कान्त पाठक)  
शासन सचिव, ग्रा.वि.वि  
सह.सदस्य सचिव, GB, SSAAT

क्रमांक: एफ 61(21) SSAAT /नियमावली / 2019/ 3382-90

जयपुर,दिनांक 10/07/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
2. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष, शासी निकाय, SSAAT
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग राजस्थान सरकार सह चेयर परसन, कार्यकारी समिति, SSAAT, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सह सदस्य सचिव, GB SSAAT,
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
8. लेखाधिकारी (प्रशासन) / लेखाधिकारी / (सामाजिक अंकेक्षण) / समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी SSAAT
9. रक्षित पत्रावली

  
(सामावतार शर्मा)  
निदेशक (SSAAT)